

**न्यायालय:—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.—1182/2013

संस्थित दिनांक—17.12.2013

फाईलिंग नं.—234503003082013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1—उमेन्द्र तिवारी पिता दिनदयाल तिवारी, उम्र—42 वर्ष, जाति ब्राम्हण,  
निवासी ग्राम परसवाड़ा, थाना परसवाड़ा जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—विशाल मर्सकोले पिता बसंत मर्सकोले, उम्र—24 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी ग्राम शेरपार, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—प्रवीन बच्छले पिता शिवलाल बच्छले, उम्र—21 वर्ष, जाति गढेवाल  
निवासी ग्राम परसावाड़ा, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — आरोपीगण

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—25/05/2016 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 34, 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—08.12.2013 को शाम 5:30 बजे, ग्राम बीजाटोला, छाया किराना दुकान के सामने थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी सुरेन्द्र पटले को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में लोहे की रॉड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सुरेन्द्र पटले को लोहे की रॉड पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी सुरेन्द्र पटले को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुरेन्द्र पटले ने दिनांक—08.12.2013 को पुलिस थाना परसवाड़ा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम अरंडिया में रहता है। शाम को लगभग 5:30 बजे वह संजय गौतम, चैतराम यादव,

राजेन्द्र तेलासे के साथ अपनी कार से सामन खरीदने बीजाटोला गया था। जब वह अपनी कार में बैठा था तो आरोपी उमेन्द्र तिवारी, विशाल मर्सकोले, प्रवीण बच्छले वहां आए और माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर बोले कि तेरी नेतागीरी उतारते हैं और और गाड़ी से निकालकर आरोपीगण लोहे की राड व हाथ-मुक्कें से उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने से उसके दाहिने हाथ एवं दाहिने पैर में चोट आई थी। आरोपीगण ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। उपरोक्त घटना के आधार पर फरियादी ने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-86/2013, धारा-294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त लाहे की राड जप्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 34, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत सुरेन्द्र पटले ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-08.12.2013 को शाम 5:30 बजे, ग्राम बीजाटोला, छाया किराना दुकान के सामने थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान में मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में लोहे की राँड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सुरेन्द्र पटले को लोहे की राँड पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-**

5- फरियादी/आहत सुरेन्द्र पटले (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। दिनांक-08.12.2013 को उसका आरोपीगण

से विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना परवाड़ा में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसे कोई चोट नहीं आयी थी और न ही पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिए थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया है कि घटना के समय आरोपीगण ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की है और उसके साथ लोहे की राड से मारपीट की थी, जिससे उसे चोट आई थी। उसने प्रदर्श पी-6 की रिपोर्ट में लोहे की राड से मारने वाली बात लेख नहीं कराना व्यक्त किया है।

6— अलीम खान (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण तथा फरियादी को जानता है। घटना वर्ष 2013 की है। फरियादी सुरेन्द्र पटले कार में बैठकर सामान खरीदने के लिए आया था तब उसका झगड़ा हुआ था। अंधेरा होने के कारण उसने यह नहीं देखा कि झगड़ा किसके साथ हुआ था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को फरियादी के साथ मारपीट की थी, जिससे उसे सिर पर चोट आई थी।

7— महेन्द्र पटले (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण व फरियादी को जानता है। घटना उसके कथन से एक वर्ष पूर्व शाम 6 बजे की है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने ने कहा है कि घटना के समय फरियादी के कार के पास भीड़ जमा हो गई थी, परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि किसने उसे मारपीट की थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

8— जग्गू वाघाड़े (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-09.12.2013 को थाना परवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को अपराध क्रमांक-86/13 की डायरी प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान कासीम खान की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसने साक्षियों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। आरोपी विशाल मर्सकोले से एक लोहे की राड साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसी दिनांक को

आरोपी विशाल, प्रवीण, उमेन्द्र को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3, 4, 5 तैयार किया था, जिसमें उसने हस्ताक्षर किये थे। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही अपने मन से की थी।

9— फरियादी सुरेन्द्र पटले (अ.सा.4) ने कहा है कि घटना में उसका आरोपीगण से विवाद हुआ था, परंतु मारपीट नहीं हुई थी और न ही उसे चोट आई थी। अभियोजन साक्षी अलीम खान (अ.सा.2) ने यह कहा है कि फरियादी का झगड़ा किसके साथ हुआ था, इसकी उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि अंधेरा होने से वह नहीं देख पाया था। साक्षी महेन्द्र पटले (अ.सा.1) ने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

10— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक-08.12.2013 को शाम 5:30 बजे, ग्राम बीजाटोला, छाया किराना दुकान के सामने थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान में मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में लोहे की रॉड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सुरेन्द्र पटले को लोहे की रॉड पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की राड मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk {kfjr o  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

बैहर,  
दिनांक-25.05.2016

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)